भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 45

बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

निजी सेवा केन्द्रों में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को लागू किया जाना

*45. **श्री अहमद अशफाक करीम:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने-अपने सेवा केन्द्र हैं; और

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन सेवा केन्द्रों में कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के तहत सदस्यता के लिए उनके प्राप्त होने की तारीख से नामांकित किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा निजी सेवा केन्द्रों में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को लागू किये जाने के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए अपने-अपने सेवा केन्द्रों वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंधित विवरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सभी अनुसूचित उद्योगों तथा 20 अथवा अधिक कर्मचारियों वाले स्थापनों की अधिसूचित श्रेणी पर स्वत: लागू होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसी स्थापना की अलग से कोई पहचान की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ऐसी कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। कवर किए गए स्थापनों के सभी कर्मचारी जिनकी आय नियुक्ति के समय 15000/-रुपये तक है उनका भविष्य निधि अंशदान अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से काटा जाएगा। जब भी कोई चूक/उल्लघंन नोटिस की जाती है अथवा संज्ञान में आता है, तो अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत प्रभावी रूप से सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने हेतु इसकी अनुपालना के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है।नियुक्ति के समय

****

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *181
उत्तर देने की तारीख 05 दिसम्बर, 2019

कश्मीर में डाक सेवाओं को निलंबित किया जाना

***181. श्रीमती वंदना चव्हाण :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कश्मीर में कुल कितने डाकघर हैं और वर्तमान में कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) क्या कश्मीर में डाक सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं अथवा 5 अगस्त, 2019 के पश्चात् किसी समय निलंबित की गईं थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डाक सेवाएं कितने दिनों के लिए निलंबित की गई थीं और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने डाक सेवाओं के निलंबन के कारण प्रभावित न्यायालयों और अन्य संस्थाओं के दैनंदिन कामकाज में आई बाधाओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"कश्मीर में डाक सेवाओं को निलंबित किए जाने" के संबंध में दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के लिए राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं. *181 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संबंध में राज्य सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) कश्मीर में डाकघरों की कुल संख्या 698 है और ये सभी 698 डाकघर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 5 अगस्त, 2019 के पश्चात्, कश्मीर में डाक सेवाएं निलंबित नहीं की गई थीं। हालांकि, प्रचालनात्मक कारणों से डाक विभाग ने, आवक मेल परियात और इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डरों को नियंत्रित करने के लिए स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक तथा पार्सलों की बुकिंग और पारेषण 5 से 18 अगस्त, 2019 तक तथा कश्मीर हेतु इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डरों की बुकिंग 13 से 27 अगस्त, 2019 तक अस्थायी रूप से निलंबित की थी। डाक विभाग ने 19.08.2019 से देशभर से कश्मीर में आवक मेल सेवा और 28.08.2019 से इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर सेवा पुन: प्रारंभ कर दी है।

(घ) न्यायालयों और अन्य संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए डाकघरों के सुचारू प्रचालन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए, जिनका ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के दोनों विंग अर्थात् जम्मू विंग एवं श्रीनगर विंग और जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के सभी जिला न्यायालय 5 अगस्त, 2019 से पूर्व एवं पश्चात् सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।

अनुबंध -I

डाक सेवाओं के निलंबन की स्थिति में न्यायालयों एवं अन्य संस्थाओं के दैनिक कामकाज में होने वाले व्यवधान को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा

1. कश्मीर के मेल वाहनों की आवाजाही के शेड्यूल को इस प्रकार से परिवर्तित किया गया है कि मेल वाहनों, मेल बैग और स्टाफ को किसी भी नुकसान से बचाते हुए सभी डाकघरों को मेल बैग सुबह तड़के ही पहुंचाए जा सकें। इससे सभी डिलिवरी क्षेत्रों में मेल की डिलिवरी सुनिश्चित की जा सकी।

2. संबंधित प्राधिकारियों को डाकघरों एवं पोस्टमास्टरों के मोबाइल/लैंडलाइन नम्बरों को एक्टिवेट करने का अनुरोध किया गया है, ताकि मूलभूत डाक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

3. 18.08.2019 से मेल बैगों को जम्मू से श्रीनगर ले जाने हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ विशेष मेल व्यवस्था की गई है।

4. सभी डाक डिवीजनों से दैनिक रिपोर्ट के माध्यम से डाकघरों के दैनिक प्रचालन कार्यों की मॉनीटरिंग की गई और जनसामान्य के लिए मूलभूत सेवाएं सुनिश्चित की गईं।

5. कश्मीर में कार्यरत डाक विभाग के स्टाफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 204

जिसका उत्तर 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

पेंशन निधि का शेयर बाजार में निवेश

204. श्री रीताब्रता बनर्जीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पेंशन निधि को शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (पीएफआरडीए अधिनियम) पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और पेंशन योजना, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, के लिए निवेश के दिशानिर्देश तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। एनपीएस के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा इस संदर्भ में जारी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट ऋण लिखत और इक्विटी सहित विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में पेंशन निधि निवेश की जाती है।

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यह सूचित किया है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने दिनांक 31.3.2015 को आयोजित अपनी 207वीं बैठक में निधि को इक्विटी और संबंधित निवेश की श्रेणी (दिनांक 23.4.2015 को अधिसूचित निवेश पैटर्न की श्रेणी (iv)) में विनिमय व्यापारित निधियों में निवेश करने का निर्णय लिया है ताकि ईपीएफ सदस्यों को अधिक प्रतिलाभ प्राप्त हो।

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 243

मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना

243. श्री जोस के० मणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किये जाने वाले मौजूदा योगदान को बढ़ाने की योजना विचाराधीन है: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
(ख) जी नहीं।
(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 426

बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मुकदमों का लड़ना

426. डां. विनय पी.सहस्रबुद्धे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अगस्त, 2019 के अनुसार यह मंत्रालय विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमें लड़ रहा है;

(ख) दायर किए गए इन मुकदमों के उच्च न्यायालय-वार तथा विभाग-वार ऑकड़े क्या हैं तथा इन्हें कब-कब दायर किया गया था;

(ग) इनमें से कितने मुकदमें सरकारी विभागों/सरकारी दफ्तरों या राज्य सरकारों द्वारा दायर किए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने दायर किए जाने वाले मुकदमों को कम करने के लिए कोई समुचित तंत्र विकसित किया है, यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिनांक 31.08.2019 तक उच्चतम न्यायालय में और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 18,804 मुकदमें लड़ रहा था।

(ख): मुकदमों का उच्च न्यायालय-वार और मंत्रालय/संगठन-वार विवरण अनुबंध- क में संलग्न है।

(ग) इस मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 2020 मुकदमें दायर किए गए हैं।

(घ): यह मंत्रालय नियमित रुप से न्यायालय मुकदमों की निगरानी करता है। न्यायालय मुकदमों की संख्या कम करने के लिए उचित सावधानी से और समयबद्ध रूप में कर्मचारियों के साथ-साथ व्यक्तियों की व्यथाओं/शिकायतों का समाधान करने के लिए इस मंत्रालय और इसके संगठनों में एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र लागू है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय समय-समय पर इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन भी करता है।

* *****

अनुबंध -"क"

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मुकदमों के लड़ने से संबंधित दिनांक 20.11.2019 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 426 के भाग (ख) के उत्तर से संदर्भित विवरण

मंत्रालय/संगठन वार और उच्च न्यायालय वार - मुकदमें

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मु.स.)	डीजीएमएस	डीजीफासली	डीटीएनबीडब्ल्यूईडी	डीजीई	सीएलसी(सी)	सीसीए	ईपीएफओ	ईएसआईसी
1.	उत्तराखंड	01	--	--	--	--	08	--	83	--
2.	पंजाब और हरियाणा	07	05	--	--	--	155	--	515	338
3.	ओडिशा	07	06	--	--	--	203	--	449	06
4.	कलकत्ता	43	11	01	04	--	120	--	823	1131
5.	राजस्थान	14	10	--	--		190	--	436	50
6.	दिल्ली	24	01	--	--	01	153	--	419	107
7.	इलाहाबाद	19	07	--	--	--	181	--	755	501
8.	मध्य प्रदेश	17	11	--	--	--	163	--	794	110
9.	गुजरात	09	02	--	--	--	220	--	206	01
10.	झारखंड	38	47	--	--	--	132	--	189	131
11.	केरल	08	21	32	--	--	199	--	1298	445
12.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	02	33		--	--	--	--	941	395
13.	कर्नाटक	04	01	02	01	--	38	--	441	370
14.	मद्रास	07	08	03	--	--	49	--	1376	986
15.	जम्मू और कश्मीर	--	01	--	--	--	--	--	03	35
16.	छत्तीसगढ़	02	02	--	--	--	--	--	97	43
17.	मुम्बई (गोवा सहित)	21	10	07	04	01	85	01	840	583
18.	पटना	03	01	--	--	--	43	--	187	38
19.	गुवाहाटी	--	--	01	--	--	19	--	45	101
20.	हैदराबाद	05	--	--	01	--	393	--	--	--
21.	नागपुर	--	--	--	03	--	95	--	--	--
22.	रायपुर	--	--	--	--	--	67	--	--	--
23.	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--	--	77	08
24.	मेघालय	--	--	--	--	--	--	--	05	08
25.	मणिपुर	--	--	--	--	--	--	--	02	--
26.	त्रिपुरा	--	--	--	--	--	--	--	42	--

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मु.स.)- (श्रम कल्याण महानिदेशालय; केन्द्रीय श्रम सेवा-I; केन्द्रीय श्रम सेवा-II; वेतन बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा-III, औद्योगिक संबंध (सामान्य नीति); औद्योगिक संबंध-डेस्क शामिल है)

डीजीएमएस	**खान सुरक्षा महानिदेशालय**
डीजीफासली	**कारखाना सलाह और श्रम संस्थान महानिदेशालय**
डीटीएनबीडब्ल्यूईडी	**दत्तोपंथ थेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा और कल्याण संस्थान**
डीजीई	**रोजगार महानिदेशालय**
सीएलसी(सी)	**मुख्य श्रमायुक्त (कें.)**
सीसीए	**मुख्य लेखा नियंत्रक**
ईपीएफओ	**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन**
ईएसआईसी	**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 428

बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में दावा न की गई राशि

428. श्री एम.शनमुगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कितनी राशि उपलब्ध है और वर्ष 1995 से अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ख) सेवारत कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि में 8.33 प्रतिशत का अंशदान कर रहे हैं, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना में सेवारत कर्मचारियों के अंशदान की कितनी राशि उपलब्ध् है;

(ग) वर्ष 1995 से अब तक कितने लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के बाद कितने आश्रितों को परिवार पेंशन मिल रही है;

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में उपलब्ध कितनी राशि का दावा नहीं किया गया है; और

(ङ) चूककर्ताओं पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अतंर्गत "पेंशन निधि " से पेंशन संवितरित की जाती है। कर्मचारी पेंशन निधि, 1995 में वर्तमान 64.52 लाख पेंशनभोगियों के अलावा दिनांक 31.03.2019 तक (अलेखापरीक्षित) 4,37,762.54 करोड़ रूपये के एक कोष के साथ 22.82 करोड़ सदस्य हैं। 1995-96 से 2018-19 तक पेंशन के रूप में 86,157.15 करोड़ रुपये संवितरित किए गए है।

(ख): ईपीएस, 1995 के अतंर्गत कर्मचारियों द्वारा अलग से कोई अंशदान नहीं दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अतंर्गत प्रत्येक माह

में नियोक्ता (नियोक्ता अंशदान) द्वारा देय अंशदानों में से कर्मचारियों के वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान के भाग को (ईपीएस, 1995 के अंतर्गत निर्धारित वेतन सीमा के अधीन) कर्मचारी पेंशन निधि में जमा कराया जाता है।

(ग): 1995 से आज तक 6,24,009 पेंशनभोगी सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। सेवानिवृत कर्मचारियों के मृत्यु के बाद 6,18,478 आश्रित परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खातों मे कोई भी अदावाकृत राशि उपलब्ध नहीं है। हालांकि, दिनांक 31.03.2019 तक निष्क्रिय खातों में 1638.37 करोड़ (अलेखापरीक्षित) हैं।

(ड.) ईपीएफओ में अंशदानों के भुगतान/गैर भुगतानों का पता लगाने की एक प्रणाली लागू है और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदाताओं को उनके खातों में अंशदान की प्राप्ति के संबंध में पुष्टि के लिए एसएमएस भेजा जाता है। नियोक्ता को भुगतान के लिए एसएमएस/ईमेलों के माध्यम से संकेत दिए जाते हैं। चूक राशि का निर्धारण करने के लिए धारा 7 क के अतंर्गत अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की जाती है, और भुगतान में जानबूझकर देरी के लिए धारा 14 ख के अंतर्गत हर्जाना लगाया जाता है। 2018-19 के दौरान अधिनियम की धारा 7 क के अतंर्गत 13626 और धारा 14 ख के अंतर्गत 98,598 मामलों को अतिंम रूप दे दिया गया है, जिसमें 504955.39 लाख रूपये की कुल राशि का निर्धारण किया गया और 205150.53 लाख की वसूली की गई है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 430

बुधवार, 20 नवंबर, 2019/29 कार्तिक, 1941(शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

430. श्री ए. के. सेल्वाराज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मजदूर संघ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के भर्ती नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अधिसूचित करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में निम्न श्रेणी के पद बहुत लंबे समय से खाली पड़े थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी हां। रिक्त पदों को भरने के लिए ईपीएफओ द्वारा अपेक्षित कदम उठाए गए हैं। ईपीएफओ में सहायक प्रशासन अधिकारियों के 240 पदों तथा सामाजिक सुरक्षा सहायकों के 2189 पदों को भरने के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण की परीक्षा ईपीएफओ द्वारा आयोजित की जा चुकी है।

इसके आगे, ईपीएफओ में प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के 421 पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को लिखा जा चुका है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 442

बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/ 29 कार्तिक, 1941 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत पेंशन का संराशीकरण पुन: बहाल किया जाना

442. श्री एस. मुत्तुकरुप्पन:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत पेंशन का संराशीकरण पुन: बहाल करने या अग्रिम अंश की वापसी के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कदम द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से 6.3 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): दिनांक 26.09.2008 की अधिसूचना जी. एस. आर. 688 (ई) द्वारा संराशीकरण के प्रावधान को निरस्त किया गया था। वर्तमान में, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन के संराशीकरण के लिए ऐसे किसी प्रावधान को पुन: बहाल करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

हालांकि, ईपीएस पेंशन भोगी जिन्होंने संराशीकरण के लिए चयन किया था 15 वर्ष पूरे होने के पश्चात पेंशन के संराशीकृत मूल्य को पुन: बहाल किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 588
जिसका उत्तर गुरुवार, 21 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

न्यायालयों में चल रहे मुकदमें

588. श्री अमर पटनायक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में चल रहे उन मुकदमों की संख्या और प्रतिशत क्या है जहां सरकार विवाद का एक पक्ष है ;

(ख) सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले ऐसे मुकदमों का प्रतिशत कितना है ;

(ग) मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच परस्पर विवाद के दायर किए गए ऐसे मुकदमों की संख्या और उनका प्रतिशत कितना है ; और

(घ) क्या विधिक सूचना प्रबंधन और संक्षेपण प्रणाली (एलआईएमबीएस) मंच ऐसे सभी मुकदमों पर व्यापक रूप से नजर रखता है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) : एलआईएमबीएस मंच ऐसे दिए गए मुकदमों पर नजर रखता है जिन्हें उपयोक्ता मंत्रालय, मंच पर अपेक्षित सूचना को नियमित रुप से अद्यतन करते है ।

****

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 621

21 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत

वस्त्र उद्योगों को आवंटन

621. श्री संजय सिंहः

क्या वस्त्र मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री कौशलविकास योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योगों कोराज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) वस्त्र उद्योगों में कताई मिलों/कपड़ाबनाने वाली इकाइयों में राज्य-वार कितने व्यक्तियोंको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस उद्योग मेंराज्य-वार कितने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाप्रशिक्षुओं को नियमित कामगारों के रूप में नियुक्तकिया गया; और

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्यबीमा तथा अन्य सांविधिक सामाजिक कल्याणकारीयोजनाओं के अधीन शामिल वस्त्र कामगारों कीराज्य-वार प्रतिशतता कितनी है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): पीएमकेवीवाई 2.0 के अंतर्गत उद्योग-वार राशि का कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग): पीएमकेवीवाई विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने अभ्यर्थियों को कौशल प्रदान करने के लिए इंडियन टेक्सप्रेनियोर फेडरेशन, दि सदर्न मिल्स एसोसिएशन और तमिलनाडु मिल्स एसोसिएशन नामक वस्त्र मिल एसोसिएशनों के साथ सहयोग किया है। प्रमाणन के पश्चात सफल अभ्यर्थियों को इन एसोसिएशनों की साझेदार मिलों में तैनात किया जाता है। अभी तक 9000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 6000 अभ्यर्थियों की तैनाती की गई है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

पीआईए का नाम	**पंजीकृत**	**प्रशिक्षित**	**मूल्यांकित**	**प्रमाणित**	**तैनाती की सूचना**
इंडियन टेक्सप्रेनियोर फेडरेशन	7562	7562	6227	6141	5952
तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन	1485	854	325	322	184
दि सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन	1125	843	483	475	326
कुल योग	**10172**	**9259**	**7035**	**6938**	**6462**

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित उपर्युक्त कौशल प्रशिक्षण के अलावा वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला में कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया गया है जिनका राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(घ): ईपीएफ के अंतर्गत शामिल वस्त्र कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

***

अनुबंध-I

एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के अंतर्गत
प्रशिक्षित व्यक्तियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित
1	आंध्रप्रदेश	96017
2	असम	5593
3	अरुणाचल प्रदेश	723
4	बिहार	28748
5	चंडीगढ़	131
6	छत्तीसगढ़	11741
7	दादर और नगर हवेली	174
8	दमन और दीव	585
9	दिल्ली	19,477
10	गुजरात	111,166
1 1	हरियाणा	53,966
12	हिमाचल प्रदेश	1660
13	जम्मू और कश्मीर	3625
14	झारखंड	11,543
15	कर्नाटक	127,676
16	केरल	7838
17	मध्यप्रदेश	80015
18	महाराष्ट्र	37017
19	मणिपुर	4268
20	मेघालय	921
21	मिजोरम	59
22	नागालैंड	79
23	ओडिशा	43085
24	पुद्दुचेरी	989
25	पंजाब	10837
26	राजस्थान	53170
27	सिक्किम	526
28	तमिलनाडु	179,350
29	तेलंगाना	36,404
30	त्रिपुरा	8627
31	उत्तर प्रदेश	116,671
32	उत्तराखंड	481
33	पश्चिम बंगाल	61,383
	कुल	**1114545**

अनुबंध-II

वस्त्र उद्योग में सहयोगी सदस्य (उद्योग कोड = 6,70 और 73), वेतन माह सितंबर, 2019						
क्र. सं.	राज्य	प्रतिष्ठान	सहयोगी सदस्य		वस्त्र का %	वस्त्र कामगारों में राज्य की हिस्सेदारी का प्रतिशत
			कुल	वस्त्र		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	363	14,822	0	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16,559	1108094	59,852	5.40	2.57
3	अरुणाचल प्रदेश	312	5535	0	0.00	0.00
4	असम	5151	255,630	1007	0.39	0.04
5	बिहार	5700	444,460	1035	0.23	0.04
6	चंडीगढ़	5916	413,146	14,341	3.47	0.62
7	छत्तीसगढ़	7446	442,501	1406	0.32	0.06
8	दिल्ली	26,631	2839958	29488	1.04	1.27
9	गोवा	2712	183,682	187	0.10	0.01
10	गुजरात	44451	3138057	275,994	8.80	11.85
1 1	हरियाणा	23038	2414602	186,405	7.72	8.00
12	हिमाचल प्रदेश	5691	320,190	17111	5.34	0.73
13	झारखंड	8065	463,855	8465	1.82	0.36
14	कर्नाटक	43,983	5525733	362,969	6.57	15.59
15	केरल	15,466	1057707	33,926	3.21	1.46
16	मध्य प्रदेश	17,672	1084438	51,123	4.71	2.20
17	महाराष्ट्र	84720	9433986	164,298	1.74	7.06
18	मणिपुर	386	14205	33	0.23	0.00
19	मेघालय	686	34,382	78	0.23	0.00
20	मिजोरम	104	3578	0	0.00	0.00
21	नागालैंड	229	8208	131	1.60	0.01
22	ओडिशा	11,813	722,144	5265	0.73	0.23
23	पंजाब	15,436	686,797	114,352	16.65	4.91
24	राजस्थान	19,786	1150298	117,511	10.22	5.05
25	तमिलनाडु	58,187	5141278	667,565	12.98	28.67
26	तेलंगाना	22,593	2835955	16,040	0.57	0.69
27	त्रिपुरा	663	27265	236	0.87	0.01
28	उत्तर प्रदेश	33183	2118934	143,864	6.79	6.18
29	उत्तराखंड	5967	540,340	7763	1.44	0.33
30	पश्चिम बंगाल	34,411	2631192	48204	1.83	2.07
	कुल	**517,320**	**45060972**	**2328649**	**5.17**	**100.00**

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1082

बुधवार, 27 नवंबर, 2019/6 अग्रहायण, 1941(शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना में सरकार का योगदान

1082. श्री रिपुन बोरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या संबंधी आंकड़ों को संग्रहित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कवायद के क्या उद्देश्य हैं और इससे प्राप्त तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजनाओं में योगदान देगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए बजटीय आवंटन कितना है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के आर्थिक रुप से वंचित वर्गों को लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं, अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सरकार की विशिष्ट योजनाओं में निधियां प्रदान की जाती हैं। अत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों का प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराया है।

(ग) और (घ): ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 को प्रशासित करता है। सरकार ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशन अंशदान (@1.16 प्रतिशत) के सरकारी हिस्से का अंशदान करती है तथा ईपीएस, 1995 के अंतर्गत एससी/एसटी सहित सभी पेंशनरों को 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1090

बुधवार, 27 नवंबर, 2019/6 अग्रहयण, 1941(शक)

असंगठित क्षेत्र के लिए नई योजनाएं

1090. सुश्री सरोज पाण्डेय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन सी नई योजनाएं कार्यान्वित की हैं; और

(ख) देश भर में ऐसी योजनाओं के अंतर्गत अभी तक पंजीकृत और लाभान्वित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है।

सरकार ने जून, 2017 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को विलय किया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को बीमा कवर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर का प्रावधान है। पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज, आंशिक अपंगता के मामले में 12 रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने पर 1 लाख रुपये काबीमा कवरेज का प्रावधान है। यह स्कीम 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 342/- रुपये का कुल प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच समान रुप से साझा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए लाभर्थियों का विवरण **अनुबंध-क** पर दर्शाया गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) को फरवरी, 2019 में आरंभ किया है, जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मैचिंग अंशदान का भुगतान किया जाता है। पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत लाभर्थियों की सूची **अनुबंध-ख** पर दर्शाया गया है।

** ******

अनुबंध 'क'

सुश्री सरोज पाण्डेय द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1090 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आम आदमी बीमा योजना के साथ विलय की गई प्रधान मंत्री जीवन बीमा बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अतंर्गत नामांकन			
	2017-18	**2018-19**	**2019-20 (31.10.2019 तक)**
राज्य	**नामांकित/ शामिल किए गए**	**नामांकित/ शामिल किए गए**	**नामांकित/ शामिल किए गए**
अंडमान और निकोबार	0	0	
आंध्र प्रदेश	2,24,29,958	2,28,78,971	2,25,65,848
असम	85,497	94,306	
बिहार	78,799	12,86,909	
छत्तीसगढ	4,55,303	15,06,099	
हिमाचल प्रदेश	0	13,843	
जम्मू और कश्मीर	52,450	20,753	
झारखंड	2,34,268	5,33,597	
कर्नाटक	16,83,382	24,16,272	
केरल	8,34,037	6,07,630	78,997
नागालैंड	0	1,209	
ओडिशा	2,70,780	13,08,310	
राजस्थान	16,60,764	4,31,085	
तमिलनाडु	0	18,224	
उत्तर प्रदेश	5,93,613	30,97,412	
कुल	**2,83,78,851**	**3,42,18,315**	**2,26,44,845**

अनुबंध 'ख'

सुश्री सरोज पाण्डेय द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1090 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार नामांकन		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	15.11.2019 **की स्थिति के अनुसार नामांकन की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	53396
2	अरुणाचल प्रदेश	1446
3	असम	12804
4	बिहार	164340
5	छत्तीसगढ़	113559
6	गोवा	370
7	गुजरात	360145
8	हरयाणा	615591
9	हिमाचल प्रदेश	33166
10	जम्मू और कश्मीर / लद्दाख	64484
11	झारखंड	125782
12	कर्नाटक	60581
13	केरल	9023
14	मध्य प्रदेश	113002
15	महाराष्ट्र	572074
16	मणिपुर	2904
17	मेघालय	1671
18	मिजोरम	548
19	नगालैंड	2337
20	ओडिशा	143825
21	पंजाब	30727
22	राजस्थान	93112
23	सिक्किम	97
24	तमिलनाडु	53370
25	तेलंगाना	25428
26	त्रिपुरा	15577
27	उत्तर प्रदेश	537095
28	उत्तराखंड	26091
29	पश्चिम बंगाल	57205
30	अण्डमान और निकोबार	1351
31	चंडीगढ़	1727
32	दादरा और नगर हवेली	675
33	दमन और दीव	420
34	लक्षद्वीप	21
35	एनसीटी दिल्ली	6927
36	पुडुचेरी	1116
कुल		3301987

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1091

बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले कारखाने

1091. श्री अहमद अशफाक करीम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में कितने प्रतिष्ठान, खदान, कारखाने आते हैं और इनमें से कितने अंशदान देते हैं, इनका 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है जो सांविधिक विवरणियों के भुगतान में चूक कर रहे हैं, तत्संबंधी क्षेत्र-वार सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7ए, 7क्यू और 14बी के अंतर्गत देयताओं के मूल्यांकन सहित ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान के विरुद्ध विभिन्न कानूनों के अंतर्गत की गई दंडात्मक कार्रवाई की सूची का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अंशदान करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या के साथ-साथ इसके अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या का क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-'क' में है।

(ख): चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या का क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध 'ख' में है।

(ग): अधिनियम की धारा 7क, 7थ तथा 14ख के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के विरूद्ध की गई दाण्डिक कार्रवाई का क्षेत्र-वार विवरण क्रमश: अनुबंध 'ग एवं 'घ पर है।

****   ********

अनुबंध-क

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले कारखानों के संबंध में श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वेतन माह सितंबर, 2019 के अनुसार शामिल और अंशदान करने वाले क्षेत्र-वार प्रतिष्ठान			
क्र.सं	क्षेत्र का नाम	प्रतिष्ठानों की कुल संख्या	अंशदान करने वाले प्रतिष्ठान
1	दिल्ली-1 (उत्तर)	26408	9053
2	दिल्ली-2 (दक्षिण)	11249	4112
3	दिल्ली-3 (पूर्व)	17869	5531
4	दिल्ली-4 (पश्चिम)	12927	4743
5	दिल्ली-5 (केन्द्रीय)	5986	2465
6	हैदराबाद-1	19734	6931
7	हैदराबाद-2	11914	5083
8	कडपा	11973	3883
9	गुंटूर	13098	4481
10	निजामाबाद	2069	776
11	विशाखापत्तनम	12640	4530
12	वारंगल	4553	1607
13	राजमुंदरी	8089	3110
14	पतनचेरू	4633	1988
15	कुकटपल्ली	9891	3849
16	करीमनगर	3924	1436
17	सिद्दीपेट	747	347
18	पटना	12251	2842
19	भागलपुर	5312	1053
20	मुजफ्फरपुर	7863	1483
21	रायपुर (छत्तीसगढ़)	19474	7107
22	गोवा	5600	2649
23	अहमदाबाद	30001	11835
24	सूरत	17315	6344
25	वडोदरा	13113	5747
26	राजकोट	20052	8270
27	वापी	9802	4698
28	नरोदा	6129	2294
29	वातवा	3908	1751
30	भरूच	5640	2379
31	फरीदाबाद	11743	4572
32	करनाल	19732	6397
33	रोहतक	9664	3338
34	गुरूग्राम –I	8222	3641
35	गुरूग्राम -II	11179	4374

36	शिमला	20564	5550
37	रांची	14952	4896
38	जमशेदपुर	8615	2849
39	बेंगलुरु-I	4629	2091
40	बेंगलुरु-II	9268	4193
41	बोम्मासांद्रा -I	4731	2184
42	येलाहंका	3595	1650
43	गुलबर्गा	4918	1483
44	हुबली	10158	4605
45	मंगलौर	4422	2491
46	मैसूर	7205	3507
47	बेल्लारी	5140	1937
48	चिकमंगलूर	3572	1422
49	बोमासांद्रा -II	4299	2147
50	पीन्या	8139	3733
51	तुमकुर	1005	408
52	के आर पुरम (व्हाइटफील्ड)	10081	4699
53	रायचूर	2796	1001
54	शिमोगा	3023	1350
55	उडुप्पी	1991	1179
56	तिरुवनंतपुरम(त्रिवेंद्रम)	4683	2216
57	कालीकट	6976	3204
58	कन्नोर	2252	1140
59	कोच्चि (कोचिन)	11683	6275
60	कोट्टयम	2588	1338
61	कोल्लम	2395	1019
62	इंदौर	14302	6029
63	भोपाल	11200	3238
64	जबलपुर	12583	3704
65	उज्जैन	3614	1381
66	ग्वालियर	6194	1932
67	बांद्रा-I	7362	3224
68	बांद्रा-II	9011	3551
69	बांद्रा-III	12687	4628
70	बांद्रा-IV	1312	581
71	औरंगाबाद	9186	3660
72	कोल्हापुर	11116	5126
73	नागपुर	16733	5976
74	नासिक	14987	6505
75	पुणे-I	23824	9267
76	पुणे-II	17786	7254
77	ठाणे-I	14617	6217

78	ठाणे-II	11432	4843
79	सोलापुर	4970	1684
80	कांदिवली -I	14423	6253
81	कांदिवली -II	9902	4263
82	वाशी	17951	7176
83	अकोला	5017	1792
84	गुवाहाटी	20185	4600
85	अगरतला	1489	662
86	शिलोंग	2487	768
87	तिनसुकिया	6265	1099
88	भुवनेश्वर	18448	6228
89	राउरकेला	6354	2559
90	बेरहामपुर	4295	1526
91	क्योंझर	3239	986
92	चंडीगढ़	13078	5736
93	अमृतसर	6959	2525
94	भटिंडा	12879	3955
95	लुधियाना	10992	5250
96	जालंधर	8001	3287
97	जयपुर	26986	10644
98	जोधपुर	11629	4043
99	कोटा	4868	1526
100	उदयपुर	6959	2944
101	चेन्नई-I	14622	5437
102	चेन्नई-II	9383	4180
103	कोयंबत्तूर	18236	8435
104	मदुरै	14851	7236
105	सेलम	12228	5800
106	तिरुनेलवेली	7286	3357
107	त्रिची	14546	5758
108	वेल्लोर	7547	3000
109	अंबात्तुर	15261	5793
110	ताम्बरम	10509	4504
111	पुडुचेरी	3631	1552
112	नागरकोइल	3168	1691
113	कानपुर	11613	3900
114	आगरा	10026	3884
115	बरेली	8841	2440
116	गोरखपुर	4265	1014
117	लखनऊ	10706	3681
118	मेरठ	21007	6728
119	वाराणसी	9127	2804

120	नोएडा	15893	6321
121	देहरादून	9085	3584
122	हल्द्वानी	4782	2199
123	कोलकाता	25109	11142
124	बैरकपुर	8550	4202
125	हावड़ा	8567	4163
126	दार्जिलिंग	484	219
127	दुर्गापुर	9312	4431
128	जलपाईगुड़ी	3028	1673
129	पोर्ट ब्लेयर	1084	352
130	सिलीगुड़ी	5895	2620
131	पार्क स्ट्रीट	6177	2604
132	जंगीपुर	4612	2323
133	सागर	2603	823
134	इलाहाबाद	4229	1162
135	राजराजेश्वरी नगर	5868	2822
	कुल	**1295837**	**501722**

अनुबंध-ख

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले कारखानों के संबंध में श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

चूककर्ता प्रतिष्ठानों की क्षेत्र-वार संख्या		
क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	प्रतिष्ठानों की संख्या
1	भोपाल	144
2	रायपुर	250
3	इंदौर	227
4	जबलपुर	274
5	ग्वालियर	101
6	सागर	33
7	उज्जैन	81
8	तिरुवनंतपुरम	1353
9	कोल्लम	209
10	कोट्टयम	181
11	कोच्चि	634
12	कोझिकोड	514
13	कन्नूर	146
14	कोयमबटूर	612
15	सेलम	289
16	त्रिची	482
17	मदुरई	492
18	तिरुनेलवेली	191
19	नागरकोइल	107
20	फरीदाबाद	740
21	गुरुग्राम 1	129
22	गुरुग्राम 2	168
23	करनाल	171
24	रोहतक	178
25	भुवनेश्वर	536
26	राउरकेला	243
27	बेहरामपुर	132
28	क्योंझर	45
29	अकोला	301
30	औरंगाबाद	308
31	कोल्हापुर	288
32	नागपुर	462
33	नासिक	218
34	पुणे-I	131
35	पुणे-II	104

36	सोलापुर	65
37	बंगलुरू (केंद्रीय)	64
38	बंगलुरू (मल्लेस्वरम)	105
39	आर आर नागर	203
40	येलहांका	25
41	पीन्या	226
42	बोम्मासांद्रा-1	66
43	बोम्मासांद्रा-2	105
44	के आर पुरम	72
45	तुमकुर	30
46	हैदराबाद (बरकतपुर)	1017
47	हैदराबाद (मधापुर)	606
48	कुकटपल्ली	453
49	पटनचेरू	314
50	सिद्दीपेट	19
51	निजामाबाद	94
52	वारंगल	190
53	करीमनगर	286
54	बांद्रा	67
55	दादर	40
56	नरिमन प्वाइंट	203
57	पोवई	9
58	अगरतला	79
59	गुवाहाटी	173
60	शिलोंग	24
61	तिनसुकिया	60
62	अमृतसर	622
63	भटींडा	252
64	चंडीगढ़	431
65	जालंधर	298
66	लुधिआना	311
67	शिमला	116
68	ठाणे (उत्तर)	93
69	ठाणे (दक्षिण)	53
70	कांदिवली (पश्चिम)	51
71	कांदिवली पूर्व	59
72	वाशी	197
73	चेन्नई-उत्तर	820
74	चेन्नई-दक्षिण	423
75	अंबात्तुर	544
76	ताम्बरम	467
77	वेल्लोर	623

78	पुडुचेरी		237
79	अहमदाबाद		67
80	भरूच		69
81	नरोदा		47
82	राजकोट		90
83	सूरत		97
84	वडोदरा		45
85	वापी		207
86	वातवा		37
87	बेल्लारी		671
88	चिकमंगलूर		59
89	गोवा		107
90	गुलबर्गा		72
91	हुबली		1066
92	मंगलौर		34
93	मैसूर		227
94	रायचूर		22
95	शिमोगा		66
96	उडुपी		33
97	गुनटूर		557
98	विशाखापत्तनम		308
99	विशाखापत्तनम		811
100	विशाखापत्तनम		411
101	दिल्ली (उत्तर)		212
102	दिल्ली(दक्षिण)		170
103	दिल्ली (पश्चिम)		116
104	दिल्ली (सेंट्रल)		49
105	दिल्ली (पूर्व)		214
106	देहरादून		107
107	हल्द्वानी		92
108	पटना		211
109	मुजफ्फरपुर		70
110	भागलपुर		634
111	रांची		224
112	जमशेदपुर		113
113	जयपुर		303
114	जोधपुर		56
115	कोटा		88
116	उदयपुर		139
117	आगरा		264
118	इलाहाबाद		107
119	बरेली		221

120	गोरखपुर	215
121	कानपुर	226
122	लखनऊ	118
123	मेरठ	709
124	नोएडा	82
125	वाराणसी	311
126	कोलकाता	517
127	बैरकपुर	216
128	पार्क स्ट्रीट	92
129	हावड़ा	130
130	दुर्गापुर	65
131	पोर्ट ब्लेयर	17
132	जलपाईगुड़ी	205
133	सिलीगुड़ी	270
134	दार्जिलिंग	9
135	बहरमपुर (पश्चिम बंगाल)	55
	कुल	**32396**

अनुबंध-ग

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले कारखानों के संबंध में श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 7क मामलों की पहल/निपटान की रिपोर्ट							
क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार ओबी	पहलें		निपटान		माह के अंत में लंबित जांचें
			माह के दौरान	माह तक	माह के दौरान	माह तक	
1	बंगलुरू केन्द्रीय	61	1	10	9	27	44
2	बेंगलुरु-II	88	4	31	13	38	81
3	येलाहंका	80	6	67	9	44	103
4	आरआर नागर	67	23	123	11	119	71
5	बोम्मासांद्रा-I	41	10	34	5	34	41
6	बोम्मासांद्रा- II	4	19	127	17	120	11
7	के आर पुरम	108	7	20	1	5	123
8	पीन्या	71	4	43	7	65	49
9	तुमकुर	19	16	23	1	17	25
10	दिल्ली उत्तर	155	37	261	27	214	202
11	दिल्ली दक्षिण	181	22	148	19	100	229
12	दिल्ली पूर्व	139	3	32	16	93	78
13	दिल्ली सेंट्रल	54	17	78	5	29	103
14	दिल्ली पश्चिम	118	22	88	8	56	150
15	देहरादून	80	2	64	7	65	79
16	हल्द्वानी	62	3	14	6	26	50
17	बेल्लारी	46	0	43	3	21	68
18	चिकमंगलूर	23	3	34	4	17	40
19	गोवा	70	0	11	1	33	48
20	गुलबर्गा	8	11	23	3	18	13
21	हुबली	110	6	45	11	80	75
22	मंगलौर	5	5	12	1	5	12
23	मैसूर	174	2	152	32	148	178
24	रायचूर	3	1	7	1	3	7
25	शिमोगा	44	3	44	5	54	34
26	उडुप्पी	40	0	2	2	11	31
27	भोपाल	164	7	114	27	163	115
28	जबलपुर	192	2	68	10	92	168
29	इंदौर	274	0	111	21	190	195
30	रायपुर	453	12	77	23	153	377
31	ग्वालियर	84	0	4	1	9	79

32	उज्जैन	64	2	21	6	25	60
33	सागर	36	1	45	4	12	69
34	बीबीएसआर	60	5	55	4	32	83
35	आरकेएल	53	1	19	0	27	45
36	बीएएम	10	0	20	2	15	15
37	केजेआर	5	0	18	3	8	15
38	अकोला	188	1	36	13	38	186
39	औरंगाबाद	221	8	12	6	23	210
40	कोल्हापुर	220	1	16	19	28	208
41	नागपुर	403	23	61	116	218	246
42	नासिक	260	18	344	16	86	518
43	पुणे-I	175	22	103	9	53	225
44	पुणे-II	169	0	84	10	77	176
45	सोलापुर	49	0	12	6	20	41
46	जयपुर	265	3	49	6	70	244
47	जोधपुर	84	0	4	2	3	85
48	कोटा	62	1	2	5	27	37
49	उदयपुर	79	5	9	4	13	75
50	ठाणे-I	200	45	105	1	63	242
51	ठाणे-II	111	2	27	6	43	95
52	वाशी	213	6	87	5	66	234
53	कांदिवली-I	217	0	4	8	23	198
54	कांदिवली 2	86	0	4	3	27	63
55	आगरा	261	22	126	21	88	299
56	इलाहाबाद	102	0	0	4	43	59
57	बरेली	179	0	5	5	51	133
58	गोरखपुर	59	0	4	0	5	58
59	कानपुर	260	3	23	3	31	252
60	लखनऊ	326	5	32	7	83	275
61	मेरठ	359	12	420	57	313	466
62	नोएडा	124	13	131	7	78	177
63	वाराणसी	234	34	49	21	153	130
64	अहमदाबाद	211	3	32	4	47	196
65	भरूच	64	0	10	3	43	31
66	नरोदा	113	0	9	5	24	98
67	राजकोट	411	1	1	9	50	362
68	सूरत	138	1	64	4	37	165
69	वडोदरा	188	8	38	9	52	174
70	वापी	72	0	6	8	50	28
71	वातवा	135	3	3	6	18	120
72	तिरुवनंतपुरम	62	9	108	28	141	29
73	कोल्लम	26	1	32	4	37	21

74	कोट्टायम	23	3	42	8	42	23
75	कोच्चि	124	14	80	14	108	96
76	कोझिकोड	37	0	125	20	112	50
77	कन्नूर	7	9	54	17	38	23
78	गुवाहाटी	27	7	18	4	12	33
79	तिनसुकिया	31	0	2	0	3	30
80	शिलोंग	22	0	16	0	18	20
81	अगरतला	8	0	6	1	4	10
82	कोयंबत्तूर	138	51	403	30	221	320
83	सेलम	67	27	120	20	89	98
84	त्रिची	132	31	208	24	141	199
85	मदुरै	103	49	150	8	29	224
86	तिरुनेलवेली	153	15	98	16	187	64
87	नागरकोइल	75	7	40	3	65	50
88	गुंटूर	24	17	55	3	26	53
89	कडपा	41	0	4	1	15	30
90	राजमुंदरी	41	5	21	0	33	29
91	विशाखापत्तनम	57	1	15	3	14	58
92	चेन्नई-I	534	17	158	58	417	275
93	चेन्नई-II	538	7	113	20	169	482
94	अंबात्तुर	526	19	104	52	419	211
95	ताम्बरम	724	91	925	107	781	868
96	वेल्लोर	220	32	266	28	244	242
97	पांडिचेरी	83	13	60	13	96	47
98	बांद्रा-I	114	0	14	5	20	108
99	बांद्रा-II	118	1	7	0	8	117
100	बांद्रा-III	135	2	24	4	21	138
101	बांद्रा-IV	26	12	22	1	8	40
102	हैदराबाद-I	421	2	29	22	294	156
103	हैदराबाद-II	367	1	59	15	287	139
104	निजामाबाद	90	0	18	2	45	63
105	कुकटपल्ली	213	8	18	5	192	39
106	पतनचेरू	93	5	45	11	91	47
107	वारंगल	177	6	17	13	93	101
108	करीमनगर	9	7	50	5	34	25
109	सिद्दीपेट	37	0	3	4	17	23
110	कोलकाता	126	4	22	5	25	123
111	पार्क स्ट्रीट	55	1	20	3	12	63
112	हावड़ा	40	1	35	0	35	40
113	बैरकपुर	142	6	27	5	38	131
114	दुर्गापुर	79	7	40	5	15	104
115	पोर्ट ब्लेयर	44	0	9	1	11	42

116	जलपाईगुड़ी	44	0	23	0	21	46
117	सिलीगुड़ी	108	6	80	9	112	76
118	दार्जिलिंग	1	0	10	1	2	9
119	बेरहामपुर	61	0	48	4	41	68
120	जालंधर	226	31	206	18	145	287
121	शिमला	84	49	349	10	57	376
122	लुधियाना	316	11	107	29	217	206
123	भटिंडा	265	69	170	42	194	241
124	अमृतसर	179	26	139	5	101	217
125	चंडीगढ़	357	10	114	43	129	342
126	जमशेदपुर	99	5	48	7	20	127
127	भागलपुर	126	2	18	2	35	109
128	पटना	383	0	7	6	117	273
129	रांची	294	13	62	9	72	284
130	मुजफ्फरपुर	210	0	0	1	46	164
131	फरीदाबाद	111	2	26	0	29	108
132	गुरुग्राम (पूर्व)	108	11	102	11	68	142
133	गुरुग्राम (पश्चिम)	100	7	74	8	45	129
134	करनाल	96	14	87	12	95	88
135	रोहतक	75	0	7	4	13	69
कुल		**18836**	**1241**	**9359**	**1542**	**10478**	**17717**

अनुबंध-घ

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले कारखानों के संबंध में श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 7थ और 14ख के मामलों की पहल/निपटान की रिपोर्ट							
क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार ओबी	पहलें		निपटान		माह के अंत में लंबित जांचें
			माह के दौरान	माह तक	माह के दौरान	माह तक	
1	बंगलुरू केन्द्रीय	278	30	438	50	260	456
2	बेंगलुरु-II	353	36	526	42	543	336
3	येलाहंका	273	7	117	27	99	291
4	आरआर नागर	68	133	1048	208	796	320
5	बोम्मासांद्रा-I	124	32	339	56	443	20
6	बोम्मासांद्रा-II	0	364	1461	362	1459	2
7	के आर पुरम	3417	0	56	180	394	3079
8	पीन्या	194	37	208	83	192	210
9	तुमकुर	23	0	46	0	33	36
10	दिल्ली उत्तर	130	118	1068	100	603	595
11	दिल्ली दक्षिण	907	68	675	71	459	1123
12	दिल्ली पूर्व	737	174	1117	189	1396	458
13	दिल्ली सेंट्रल	189	95	1008	110	764	433
14	दिल्ली पश्चिम	553	32	501	51	890	164
15	देहरादून	170	59	461	60	454	177
16	हल्द्वानी	144	36	245	45	300	89
17	बेल्लारी	99	55	305	77	268	136
18	चिकमंगलूर	85	8	116	16	142	59
19	गोवा	231	39	152	25	259	124
20	गुलबर्गा	102	42	223	54	216	109
21	हुबली	48	110	739	61	604	183
22	मंगलौर	0	106	621	129	482	139
23	मैसूर	0	800	3385	821	2924	461
24	रायचूर	8	6	62	4	51	19
25	शिमोगा	22	46	152	15	89	85
26	उडुप्पी	21	3	87	12	80	28
27	भोपाल	47	2	323	29	350	20
28	जबलपुर	745	157	766	122	1241	270
29	इंदौर	640	49	394	28	848	186
30	रायपुर	1984	33	93	70	504	1573

31	ग्वालियर	223	3	216	19	256	183
32	उज्जैन	215	0	0	0	7	208
33	सागर	91	0	80	25	118	53
34	बीबीएसआर	491	44	253	43	380	364
35	आरकेएल	433	3	39	10	171	301
36	बीएएम	20	24	188	26	86	122
37	केजेआर	55	16	119	22	114	60
38	अकोला	175	0	101	0	27	249
39	औरंगाबाद	170	2	176	6	146	200
40	कोल्हापुर	316	28	245	13	153	408
41	नागपुर	42	5	158	45	108	92
42	नासिक	538	37	236	42	475	299
43	पुणे-I	560	61	290	79	375	475
44	पुणे-II	140	42	321	18	168	293
45	सोलापुर	215	0	97	9	102	210
46	जयपुर	309	21	730	139	524	515
47	जोधपुर	110	0	17	5	42	85
48	कोटा	98	0	306	20	170	234
49	उदयपुर	61	1	57	7	64	54
50	ठाणे-I	309	0	118	36	181	246
51	ठाणे-II	306	0	120	21	109	317
52	वाशी	874	75	201	79	521	554
53	कांदिवली-I	1061	7	539	38	217	1383
54	कांदिवली- II	707	9	63	94	255	515
55	आगरा	42	5	215	7	52	205
56	इलाहाबाद	44	0	7	1	25	26
57	बरेली	6	59	202	27	134	74
58	गोरखपुर	23	10	156	35	77	102
59	कानपुर	31	30	376	29	157	250
60	लखनऊ	240	20	109	17	256	93
61	मेरठ	36	64	310	12	81	265
62	नोएडा	288	31	602	47	664	226
63	वाराणसी	61	30	91	48	88	64
64	अहमदाबाद	172	48	673	91	542	303
65	भरूच	42	49	151	8	106	87
66	नरोदा	111	68	199	58	191	119
67	राजकोट	305	1	67	0	63	309
68	सूरत	97	86	403	48	329	171
69	वडोदरा	199	16	278	29	260	217
70	वापी	72	14	147	22	165	54
71	वेतवा	10	22	96	27	54	52
72	तिरुवनंतपुरम	6	7	337	29	328	15

73	कोल्लम	207	6	46	6	95	158
74	कोट्टायम	33	39	224	33	198	59
75	कोच्चि	2213	140	475	127	561	2127
76	कोझिकोड	0	5	455	62	425	30
77	कन्नूर	1	135	447	132	389	59
78	गुवाहाटी	141	3	24	6	35	130
79	तिनसुकिया	20	4	33	1	7	46
80	शिलोंग	10	0	24	3	18	16
81	अगरतला	253	0	2	4	20	235
82	कोयंबत्तूर	23	3	1049	21	1051	21
83	सेलम	13	86	485	80	367	131
84	त्रिची	199	455	2426	516	2409	216
85	मदुरै	308	816	1886	86	519	1675
86	तिरुनेलवेली	1	109	886	25	747	140
87	नागरकोइल	18	42	517	75	471	64
88	गुंटूर	119	5	64	19	110	73
89	कडपा	98	70	170	20	179	89
90	राजमुंदरी	72	55	304	28	214	162
91	विशाखापत्तनम	125	16	158	30	163	120
92	चेन्नई-I	40	1	4712	53	3947	805
93	चेन्नई-II	1195	170	1268	307	1522	941
94	अंबात्तुर	372	147	1259	180	1183	448
95	ताम्बरम	283	246	1869	170	761	1391
96	वेल्लोर	19	90	924	139	635	308
97	पांडिचेरी	96	20	182	24	207	71
98	बांद्रा-I	521	0	6	15	58	469
99	बांद्रा-II	463	8	111	8	164	410
100	बांद्रा-III	683	7	57	24	103	637
101	बांद्रा-IV	139	25	50	5	48	141
102	हैदराबाद-I	93	16	86	5	117	62
103	हैदराबाद -II	127	23	366	36	323	170
104	निजामाबाद	24	3	72	17	49	47
105	कुकटपल्ली	172	51	196	37	232	136
106	पतनचेरू	8	1	23	3	28	3
107	वारंगल	13	3	29	1	19	23
108	करीमनगर	13	10	68	11	62	19
109	सिद्दीपेट	12	2	625	57	551	86
110	कोलकाता	271	8	89	5	104	256
111	पार्क स्ट्रीट	67	22	121	22	90	98
112	हावड़ा	197	0	91	18	123	165
113	बैरकपुर	33	18	78	8	64	47

114	दुर्गापुर	429	63	467	63	364	532
115	पोर्ट ब्लेयर	55	0	0	0	36	19
116	जलपाईगुड़ी	84	25	140	8	103	121
117	सिलीगुड़ी	72	57	475	72	325	222
118	दार्जिलिंग	39	0	50	3	72	17
119	बेरहामपुर	13	0	6	0	9	10
120	जालंधर	151	25	360	33	239	272
121	शिमला	177	25	248	30	233	192
122	लुधियाना	305	96	955	158	944	316
123	भटिंडा	325	249	1379	313	1260	444
124	अमृतसर	287	38	327	46	264	350
125	चंडीगढ़	286	135	412	142	374	324
126	जमशेदपुर	103	19	193	25	148	148
127	भागलपुर	68	62	236	16	119	185
128	पटना	180	64	699	128	556	323
129	रांची	147	1248	6616	241	522	6241
130	मुजफ्फरपुर	357	17	70	43	266	161
131	फरीदाबाद	58	2	49	6	58	49
132	गुरुग्राम (पूर्व)	45	3	123	17	130	38
133	गुरुग्राम (पश्चिम)	51	34	304	32	190	165
134	करनाल	121	123	829	82	728	222
135	रोहतक	99	0	77	8	68	108
	कुल	**33043**	**8760**	**61793**	**8313**	**50860**	**43976**

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1092

बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारियों का नामांकन

1092. श्री अहमद अशफाक करीम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार भवन और निर्माण उद्योग जैसे अनुसूचित शीर्ष के अंतर्गत कितने प्रतिष्ठान आते हैं और अभिदाताओं द्वारा कुल कितनी धनराशि और अंशदान दिया गया है, तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्राधिकारियों द्वारा सभी अर्हताप्राप्त कर्मचारियों को उनकी अर्हताप्राप्ति की तारीख से नामांकित करने के लिए, तत्संबंधी सभी सांविधिक देयताओं और वसूली संबंधी कार्य निष्पन्न करने के लिए सभी कानूनी कार्रवाई समय से की गई हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): अनुसूचित शीर्ष, भवन एवं सन्निर्माण उद्योग के अंतर्गत प्रतिष्ठानों एवं अभिदाताओं का क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-'क' में है। माह सितम्बर, 2019 के दौरान "भवन एवं सन्निर्माण कामगारों" के संबंध में प्राप्त कुल अंशदान 260.21 करोड़ रूपये है।

(ख): जब भी यह नोटिस किया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किसी प्रतिष्ठान ने अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को नामांकित नहीं किया है, तो निम्नलिखित कार्रवाईयां की जाती हैं:

i. नियोक्ताओं को सभी पात्र कर्मचारियों को नामांकित करने के लिए अवगत कराया जाता है।

ii पात्रता का पता लगाने के लिए अभिलेखों का निरीक्षण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के शास्ति उपबंधों के अनुसार कार्रवाइयां की जाती हैं।

* ****

अनुबंध-क

'कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारियों का नामांकन' से संबंधित श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1092 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

सितम्बर, 2019 के वेतनमाह के लिए अनुसूची शीर्ष भवन एवं सन्निर्माण उद्योग के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों और अभिदाताओं का ब्यौरा			
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**शामिल प्रतिष्ठान**	**अभिदाता**
1	दिल्ली-2 (दक्षिण)	1144	14437
2	दिल्ली -4 (पश्चिम)	1048	10160
3	दिल्ली -5 (केंद्रीय)	459	6929
4	दिल्ली -1 (उत्तर)	1665	10698
5	दिल्ली -3 (पूर्व)	1678	13712
6	हैदराबाद - 1	817	7906
7	हैदराबाद - 2	725	67243
8	कडपा	300	2521
9	गुंटूर	338	2805
10	निजामाबाद	38	396
11	विशाखापत्तनम	677	10050
12	वारंगल	66	1242
13	राजमुंदरी	259	787
14	पाटनचेरू	159	3230
15	कुकटपल्ली	445	4983
16	करीमनगर	121	582
17	सिद्दीपेट	1	0
18	पटना	2017	3305
19	भागलपुर	450	672
20	मुजफ्फरपुर	1469	1308
21	रायपुर (छत्तीसगढ़)	1990	13309
22	गोवा	441	3962
23	अहमदाबाद	2123	37503
24	सूरत	1503	9947
25	वडोदरा	1136	9273
26	राजकोट	1101	23332
27	वापी	221	3408
28	नरोदा	284	800
29	वातवा	106	259
30	भड़ूच	413	4587
31	फरीदाबाद	414	4770
32	करनाल	700	3609
33	रोहतक	276	1661
34	गुरूग्राम –II	484	2335
35	गुरूग्राम -I	550	12120

36	शिमला	6957	11996
37	रांची	1665	8612
38	जमशेदपुर	602	18547
39	बेंगलुरु-II	503	31519
40	येलाहंका	322	4567
41	बेंगलुरु-I	242	14274
42	गुलबर्गा	1411	2783
43	हुबली	450	3193
44	मंगलौर	298	2158
45	मैसूर	125	772
46	बेल्लारी	378	1377
47	चिकमंगलूर	67	260
48	बोम्मासांद्रा -II	189	6093
49	तुमकुर	28	29
50	पीन्या	186	1969
51	बोम्मासांद्रा -I	83	413
52	के आर पुरम (वाइटफील्ड)	503	5874
53	रायचूर	113	1398
54	शिमोगा	207	235
55	उडुप्पी	109	721
56	तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम)	254	1629
57	कालीकट	154	5090
58	कन्नौर	47	148
59	कोच्चि (कोचिन)	516	6097
60	कोट्टायम	58	328
61	कोल्लम	67	291
62	इंदौर	1820	12913
63	भोपाल	3119	39565
64	जबलपुर	2123	4304
65	उज्जैन	524	2152
66	ग्वालियर	1337	2599
67	बांद्रा-I	544	68234
68	बांद्रा-IV	21	539
69	बांद्रा-III	392	41562
70	बांद्रा-II	305	5308
71	औरंगाबाद	670	5189
72	कोल्हापुर	684	1954
73	नागपुर	1589	9186
74	नासिक	1148	10275
75	पुणे-1	2191	23877
76	पुणे-2	1198	12641
77	सोलापुर	527	681
78	कांदिवली -2	509	21199
79	कांदिवली -1	968	13474
80	ठाणे-2	752	20596

81	ठाणे-1	1103	7469
82	वाशी	1230	9415
83	अकोला	290	836
84	गुवाहाटी	1628	3496
85	अगरतला	83	280
86	शिलांग	175	910
87	तिनसुकिया	898	759
88	भुवनेश्वर	4044	29232
89	राउरकेला	543	3968
90	बेरहामपुर	912	4370
91	क्योंझर	433	4543
92	चंडीगढ़	1299	14523
93	अमृतसर	647	1564
94	भटिंडा	1953	5243
95	लुधियाना	379	1736
96	जालंधर	457	1425
97	जयपुर	2586	10047
98	जोधपुर	1339	3131
99	कोटा	404	1926
100	उदयपुर	875	19744
101	चेन्नई-1	440	7849
102	चेन्नई-2	472	13259
103	कोयंबत्तूर	398	8059
104	मदुरै	209	1663
105	सेलम	499	24752
106	तिरुनेलवेली	126	599
107	त्रिची	296	1586
108	वेल्लोर	226	1633
109	अंबात्तुर	530	3306
110	ताम्बरम	432	16234
111	पुडुचेरी	49	528
112	नागरकोईल	66	384
113	कानपुर	701	2434
114	आगरा	716	7430
115	बरेली	472	789
116	गोरखपुर	214	472
117	लखनऊ	1035	10209
118	मेरठ	1329	5481
119	वाराणसी	218	1302
120	नोएडा	979	9601
121	देहरादून	983	4084
122	हल्द्वानी	214	2301
123	कोलकाता	1126	11556
124	बैरकपुर	432	2320
125	हावड़ा	331	6013

126	दार्जिलिंग	64	145
127	दुर्गापुर	1001	8174
128	जलपाईगुड़ी	636	4110
129	पोर्ट ब्लेयर	328	2753
130	सिलीगुड़ी	718	3735
131	पार्क स्ट्रीट	308	12094
132	जंगीपुर	147	1301
133	सागर	700	1169
134	इलाहाबाद	173	439
135	राजराजेश्वरी नगर	263	1510
	कुल	99682	1024353

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1227
जिसका उत्तर गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

सरकारी मुकदमों पर अधिक व्यय

1227. डा. अमर पटनायक :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान जिन मामलों में सरकार एक पक्षकार थी, उन मुकदमों में अधिवक्ताओं की फीस तथा अन्य संबंधित खर्चों के संबंध में सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए मुकदमों में अधिवक्ताओं की फीस और अन्य खर्चों के साथ-साथ सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आपसी विवादों संबंधी मुकदमों पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा मुकदमेबाजी पर व्यय कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

****

भारत सरकार

और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1860

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1860. श्री विजय पाल सिंह तोमर:

श्री पि. भट्टाचार्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कुशलता में वृद्धि करने के लिए नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में नया मॉडल प्रदान करने के अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है।

सरकार ने जून,2017 में आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को मिला दिया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को बीमा कवर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज, आंशिक अपंगता के मामले में 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जाता है। यह स्कीम 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 342/- रुपये का कुल प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) का शुभांरभ फरवरी, 2019 में किया गया। यह असंगठित कामगारों के लाभ के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम और पीएम-एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा अंशदान देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता का प्रारूप संगठित एवं असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा नौ केंद्रीय श्रम अधिनियमों के संगत प्रावधानों का विलय, सरलीकरण और औचित्यकरण करके तैयार किया है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1862

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के कामगार

1862. डा.एल.हनुमंतय्या:

श्री राजमणि पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के कितने कामगारों को शामिल किया गया है और उनका प्रतिशत कितना है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में चिह्नित करने और उसमें दर्ज करने के लिए उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित कामगारों को चिह्नित करने और पंजीकृत करने के लिए उपाय किए हो, यदि हां, तो तत्संबंधी कवरेज-डाटा, पूरा किए जाने की समय-सीमा के राज्य-वार ब्यौरे क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो;

(घ) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र का श्रम कानून के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के उपाय किए हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है।

सरकार ने जून, 2017 में आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से मिला दिया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को बीमा कवर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा

योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज, आंशिक अपंगता के मामले में 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जाता है। यह स्कीम 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 342/- रुपये का कुल प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच समान रुप से साझा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के संबंध में लाभार्थी का ब्यौरा अनुबंध-क में दर्शाया गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) का शुभांरभ 5 मार्च, 2019 में किया है, जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है । 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची अनुबंध-ख में दी गई है।

असंगठित कामगार पहचान संख्या (यूविन) हेतु प्रायोगिक परियोजना को पुन: तैयार किया गया है तथा अब उसका असंगठित कामगार हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के रूप में पुन: नामकरण किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) को अपेक्षित डेटाबेस विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रारूप संहिता, 2019 संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा 9 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के संगत प्रावधानों को समामेलित, सरलीकृत तथा युक्तियुक्त बनाकर के तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की व्याप्ति का विस्तार करना है।
**

******

अनुबंध 'क'

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के संबंध में डा.एल.हनुमंतय्या और श्री राजमणि पटेल द्वारा पूछे गए, 04..12.2019 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1862 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य	2019-20 (31.10.2019 तक)
	नामांकित/व्याप्त
आंध प्रदेश	2,25,65,848
केरल	78,997
कुल	**2,26,44,845**

अनुबंध 'ख'

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के संबंध में डा.एल.हनुमंतय्या और श्री राजमणि पटेल द्वारा पूछे गए, 04..12.2019 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1862 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र-वार/राज्य-वार नामांकन		
क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	15.11.2019 के अनुसार नामांकन की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	53396
2	अरुणाचल प्रदेश	1446
3	असम	12804
4	बिहार	164340
5	छत्तीसगढ़	113559
6	गोवा	370
7	गुजरात	360145
8	हरियाणा	615591
9	हिमाचल प्रदेश	33166
10	जम्मू और कश्मीर / लद्दाख	64484
11	झारखंड	125782
12	कर्नाटक	60581
13	केरल	9023
14	मध्य प्रदेश	113002
15	महाराष्ट्र	572074
16	मणिपुर	2904
17	मेघालय	1671
18	मिजोरम	548
19	नागालैंड	2337
20	ओडिशा	143825
21	पंजाब	30727
22	राजस्थान	93112
23	सिक्किम	97
24	तमिलनाडु	53370
25	तेलंगाना	25428
26	त्रिपुरा	15577
27	उत्तर प्रदेश	537095
28	उत्तराखंड	26091
29	पश्चिम बंगाल	57205
30	अण्डमान और निकोबार	1351
31	चंडीगढ़	1727
32	दादरा और नागर हवेली	675
33	दमन और दीव	420
34	लक्षद्वीप	21
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6927
36	पुडुचेरी	1116
	कुल	3301987

****

भारत सरकार

और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1867

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1867. श्री मानस रंजन भूनिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है; और

(घ) इन योजनाओं में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्य के रूप में चिहिनत किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। सरकार ने जून,2017 में आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को मिला दिया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को बीमा कवर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज, आंशिक अपंगता के मामले में 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जाता है। यह स्कीम 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 342/- रुपये का कुल प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) का शुभांरभ फरवरी, 2019 में किया गया। यह असंगठित कामगारों के लाभ के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पैंशन स्कीम है जिसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पैंशन दी जाती है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित

जारी---2/-

कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम और पीएम-एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा अंशदान देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस स्कीम में देश भर में फैले 3.50 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के नेटवर्क के माध्यम से नामांकन किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति अपना नामांकन स्वयं www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस स्कीम को अधिक लोकप्रिय बनाने और इसके बारे में अधिक जागरूकता लाने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया गया है।

संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आरआईएसएच) 2016, बीड़ी / लौह अयस्क खदान, मैंगनीज अयस्क खदान एवं क्रोम अयस्क खदान (आइ. ओ. एम. सी.) / चूना पत्थर खदान, डोलोमाइट खदान (एल. एस. डी. एम.) / अभ्रक खदान एवं सिने कामगारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,50,000/- रुपये (प्रति लाभार्थी) रूपये की सब्सिडी 25:60:15 के अनुपात में अर्थात क्रमश: 37,500/- रूपये, 90,000/- रूपये और 22,500/- रूपये की तीन (03) किश्तों में देने के लिए 22.03.2016 से लागू की गई है। तथापि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभी कल्याण आयुक्तों को 25.09.2018 को यह निर्देश दिया गया था कि वे आरआईएसएच के अंतर्गत पहली किश्त की नई संस्वीकृति जारी न करें और लम्बित आवेदनों को पीएमएवाई (प्रधान मंत्री आवास योजना) के अंतर्गत संस्वीकृति के लिए संबंधित ब्लॉक / यूएलबी के पास भेजें। तथापि, आरआईएसएच 2007 के अंतर्गत दूसरी किश्त तथा आरआईएसएच, 2016 के अंतर्गत दूसरी और तीसरी किश्त को देना जारी रखें।

बीड़ी/सिने/ लौह अयस्क खदान, मैंगनीज अयस्क खदान एवं क्रोम अयस्क खदान (आइ. ओ. एम. सी.) / चूना पत्थर अयस्क खदान, डोलोमाइट अयस्क खदान (एल. एस. डी. एम.) / अभ्रक खदान कामगारों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता का क्रियान्वयन भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभों को डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत अंतरित किया जाता है और राष्ट्रीय स्कोलरशिप पोर्टल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करके उन पर कार्रवाई की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत पहली कक्षा से प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों को 250 /- रूपये से लेकर 15,000/- रूपये (कक्षा और कोर्स के आधार पर) की वित्तीय सहायता दी जाती है।

बीड़ी, सिने और गैर-कोयला खनन कामगारों और उनके परिवारों को देशभर में स्थित **10** अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। गंभीर रोगों में सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में लिए गए विशिष्ट उपचार पर हुए खर्च पर हुए प्रतिपूर्ति निम्न रूप में की जाती है:

कैंसर - इसके उपचार, दवाइयों और डाइट प्रभारों पर कामगारों या उनके आश्रितों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति।

ट्यूबरक्यूलोसिस - टीबी अस्पतालों में बेड आरक्षण और कामगारों के लिए आवासीय उपचार। उपचार कर रहे फिजीशियन की सलाह पर 750/- रूपये से लेकर 1000/- तक का मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाता है।

हृदय रोग - कामगारों को 1,30,000/- रूपये तक के खर्च की प्रतिपूर्ति।

गुर्दा प्रत्यारोपण - कामगारों को 2,00,000/- तक के खर्च की प्रतिपूर्ति।

हर्निया, अपेंडेक टॉमी, अल्सर गाएनेकोलोजिकल रोग एवं प्रोस्टेट रोग - कामगारों और उनके आश्रितों को 30,000/- रूपये तक के खर्च की प्रतिपूर्ति।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1869

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कमी

1869. श्री आर. वैद्यलिंगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में लगभग 250 कार्यालय हैं जिनमें अधिकांश अधिकरियों को कर्मचारियों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण अंशदाताओं को अपने दावों और शिकायतों का समयबद्ध निपटान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान समय में कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक बोझ है जिसके कारण उनकी क्षमताओं से अधिक कार्य के असंभव लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सुचारु कार्य-संचालन के लिए और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 138 क्षेत्रीय कार्यालय ओर 117 जिला कार्यालय हैं। कार्य को तेजी से निपटाने के लिए ईपीएफओ में क्प्यूटरीकरण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, दावों का ऑनलाइन निवेदन, खातों की पर्ची का स्वचालित उत्पत्ति आदि आरम्भ किया गया है।

(ग) और (घ): ईपीएफओ में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरने की कारवाई की जाती है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1877

बुधवार, 4 दिसंबर, 2019/13 अग्रहायण, 1941(शक)

संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना

†1877. श्री पी. एल. पुनिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में नियोजित ऐसे कितने श्रमिक, स्वरोजगारी श्रमिक और वेतनभोगी श्रमिक हैं जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है;

(ख) उनकी राज्य-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, गत तीन वर्षों के दौरान उनकी उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): ऐसा कोई डाटा/ सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, कृषि कामगारों सहित, असंगठित क्षेत्र कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 लागू किया है। इस अधिनियम से असंगठित कामगारों के (i) जीवन एवं विकलांगता कवर, (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य कोई लाभ, से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त कल्याण योजनाएं बनाए का उपबंध किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को उनकी योग्यता अनुसार जीवन एवं विकलांगता कवर प्रदान करती हैं। आयुषमान भारत योजना में स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन अनुबंध- 'क' में है।

मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) को 05 मार्च, 2019 में आरंभ की है, जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर

3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।18-40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत लाभर्थियों की सूची **अनुबंध-ख** पर दर्शायी गई है।

**   ******

अनुबंध 'क'

श्री पी. एल. पुनिया द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1877 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के साथ विलय की गई प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अतंर्गत नामांकन			
	2017-18	**2018-19**	**2019-20 (31.10.2019 तक)**
राज्य	**नामांकित/ शामिल किए गए**	**नामांकित/ शामिल किए गए**	**नामांकित/ शामिल किए गए**
अंडमान और निकोबार	0	0	
आंध्र प्रदेश	2,24,29,958	2,28,78,971	2,25,65,848
असम	85,497	94,306	
बिहार	78,799	12,86,909	
छत्तीसगढ	4,55,303	15,06,099	
हिमाचल प्रदेश	0	13,843	
जम्मू और कश्मीर	52,450	20,753	
झारखंड	2,34,268	5,33,597	
कर्नाटक	16,83,382	24,16,272	
केरल	8,34,037	6,07,630	78,997
नागालैंड	0	1,209	
ओडिशा	2,70,780	13,08,310	
राजस्थान	16,60,764	4,31,085	
तमिलनाडु	0	18,224	
उत्तर प्रदेश	5,93,613	30,97,412	
कुल	**2,83,78,851**	**3,42,18,315**	**2,26,44,845**

अनुबंध 'ख'

श्री पी. एल. पुनिया द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1877 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार नामांकन		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	15.11.2019 की स्थिति के अनुसार नामांकन की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	53396
2	अरुणाचल प्रदेश	1446
3	असम	12804
4	बिहार	164340
5	छत्तीसगढ़	113559
6	गोवा	370
7	गुजरात	360145
8	हरियाणा	615591
9	हिमाचल प्रदेश	33166
10	जम्मू और कश्मीर / लद्दाख	64484
11	झारखंड	125782
12	कर्नाटक	60581
13	केरल	9023
14	मध्य प्रदेश	113002
15	महाराष्ट्र	572074
16	मणिपुर	2904
17	मेघालय	1671
18	मिजोरम	548
19	नगालैंड	2337
20	ओडिशा	143825
21	पंजाब	30727
22	राजस्थान	93112
23	सिक्किम	97
24	तमिलनाडु	53370
25	तेलंगाना	25428
26	त्रिपुरा	15577
27	उत्तर प्रदेश	537095
28	उत्तराखंड	26091
29	पश्चिम बंगाल	57205
30	अण्डमान और निकोबार	1351
31	चंडीगढ़	1727
32	दादरा और नागर हवेली	675
33	दमन और दीव	420
34	लक्षद्वीप	21
35	एनसीटी दिल्ली	6927
36	पुडुचेरी	1116
	कुल	3301987

*****

भारत सरकार

और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1880

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के लिए नई योजनाएं

1880. सुश्री सरोज पाण्डेय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अभी तक संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कार्यान्वित की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों की संख्या कितनी है तथा अभी तक उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): वर्ष 2014 से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यान्वित की गई नई योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) संगठित क्षेत्र के लाभार्थ कार्यान्वित स्कीमें:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का शुभारंभ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि तक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) दोनों के निमित्त 12% अर्थात पूर्ण अंशदान का भुगतान किया। पीएमआरपीवाई के अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष तक लाभ प्राप्त करेंगे। 31 मार्च, 2019 तक, 1.18 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करते हुए 1.45 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ दिए गए हैं।

(ख) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दो वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए 01.07.2018 से प्रायोगिक आधार पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक स्कीम का सूत्रपात किया। यह स्कीम क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत कवर्ड कर्मचारियों के लिए, जीवन में एक बार, 90 दिन तक नकद क्षतिपूर्ति के रूप में, एक कल्याणकारी उपाय है, जिसका दावा बेरोजगार होने जाने पर एक या अधिक बारी में तीन माह के बाद किया जाना होता है, बशर्ते कर्मचारी दो वर्ष तक बीमा-योग्य रोजगार में रहा हो तथा राहत के दावे से तत्काल पूर्व लगातार चार छमाही अंशदान अवधियों में से प्रत्येक अवधि में अठहत्तर (78) दिन तक अंशदान दे चुका हो। राहत, प्रतिदिन औसत आय के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक नहीं होगी। सभी बीमित व्यक्ति "अटल

बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" के अंतर्गत राहत पाने के हकदार हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अलग से पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत राहत केवल बेरोजगार होने पर ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए अंशदायी और अन्य शर्तें पूरी करने वाले सभी बीमित व्यक्ति बेरोजगारी की आकस्मिकता में इस राहत को पाने के हकदार हैं। अतः, ईएसआई स्कीम के अंतर्गत कवर्ड सभी बीमित व्यक्ति अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत कवर्ड हैं। सितम्बर, 2019 तक, समस्त देश के कुल 58 बीमित व्यक्तियों ने इस स्कीम के अंतर्गत 453009/- रुपये की राहत प्राप्त की है।

(ii) असंगठित क्षेत्र के लाभार्थ कार्यान्वित स्कीमें:

(1) जीवन एवं अपंगता छत्र:-

जून, 2017 में, सरकार ने आम आदमी बीमा योजना का विलय प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ किया है।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को बीमा छत्र प्रदान करती हैं। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा छत्र प्रदान करती है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर दुर्घटना में होने वाली मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपये, तथा आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये का बीमा छत्र प्रदान करती है। 342/- रुपये का कुल प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए लाभार्थियों का विवरण **अनुबंध-क** में दर्शाया गया है।

(2) वृद्धावस्था संरक्षण:-

(क) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) - श्रम और रोजगार मंत्रालय ने फरवरी, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सूत्रपात किया है जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है । 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है। पीएम-एसवाईएम के लाभार्थियों की सूची **अनुबंध-ख** में दर्शायी गयी है।

(ख): **व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)** - व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (मूल रूप से प्रस्तावित नाम, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना था) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभारंभ 12.09.2019 को किया गया है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में देश भर में फैले सामान्य सेवा केन्द्रों के 3.50 लाख केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से नामांकन किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति अपना नामांकन स्वयं www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे व्यापारी जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम/पीएम-एसवाईएम के सदस्य अथवा आयकरदाता नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। अभिदाता, 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं।

** *****

अनुबंध 'क'

सुश्री सरोज पाण्डेय द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को पूछे जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1880 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

आम आदमी बीमा योजना के साथ विलय की गई प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन			
	2017-18	**2018-19**	**2019-20 (31.10.2019 तक)**
राज्य	**नामित/कवर्ड**	**नामित/कवर्ड**	**नामित/कवर्ड**
अंडमान और निकोबार	0	0	
आंध्र प्रदेश	2,24,29,958	2,28,78,971	2,25,65,848
असम	85,497	94,306	
बिहार	78,799	12,86,909	
छत्तीसगढ़	4,55,303	15,06,099	
हिमाचल प्रदेश	0	13,843	
जम्मू और कश्मीर	52,450	20,753	
झारखण्ड	2,34,268	5,33,597	
कर्नाटक	16,83,382	24,16,272	
केरल	8,34,037	6,07,630	78,997
नागालैण्ड	0	1,209	
ओड़िशा	2,70,780	13,08,310	
राजस्थान	16,60,764	4,31,085	
तमिलनाडु	0	18,224	
उत्तर प्रदेश	5,93,613	30,97,412	
कुल	**2,83,78,851**	**3,42,18,315**	**2,26,44,845**

अनुबंध - 'ख'

सुश्री सरोज पाण्डेय द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को पूछे जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1880 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के अंतर्गत संघ राज्य-क्षेत्र वार/राज्य-वार नामांकन		
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम**	**15.11.2019 की स्थिति के अनुसार नामांकन की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	53396
2	अरुणाचल प्रदेश	1446
3	असम	12804
4	बिहार	164340
5	छत्तीसगढ़	113559
6	गोवा	370
7	गुजरात	360145
8	हरियाणा	615591
9	हिमाचल प्रदेश	33166
10	जम्मू और कश्मीर/लद्दाख	64484
11	झारखण्ड	125782
12	कर्नाटक	60581
13	केरल	9023
14	मध्य प्रदेश	113002
15	महाराष्ट्र	572074
16	मणिपुर	2904
17	मेघालय	1671
18	मिजोरम	548
19	नागालैण्ड	2337
20	ओड़िशा	143825
21	पंजाब	30727
22	राजस्थान	93112
23	सिक्किम	97
24	तमिलनाडु	53370
25	तेलंगाना	25428
26	त्रिपुरा	15577
27	उत्तर प्रदेश	537095
28	उत्तराखण्ड	26091
29	पश्चिम बंगाल	57205
30	अंडमान और निकोबार	1351
31	चण्डीगढ़	1727
32	दादरा एवं नागर हवेली	675
33	दमन और दीव	420
34	लक्षद्वीप	21
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6927
36	पुडुचेरी	1116
कुल		**33,01,987**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1884

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पुन: संवर्ग संरचना

1884. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में पुन: की गई संवर्ग संरचना के कार्यान्वयन से पहले तथा पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संवर्ग वार संख्या कितनी है;

(ख) रिक्त पदों पर मौजूदा कर्मचारियों/अधिकारियों को भर्ती/पदोन्नत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एपीएफसी ग्रेड पर कुछ व्यक्तियों को उनकी अर्हक सेवा में छूट देकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के रूप में पदोन्नत किया गया था;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अन्य ग्रेडों में भी इसी प्रकार की छूट देकर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2667

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019/20 अग्रहायण, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना

2667. श्री ए. विजयकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्र में पेंशन के लिए कई लाभार्थी कर्मचारियों को जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो असंगठित क्षेत्र में नामांकित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) यदि हां, तो क्या मीडिया घरानों के कर्मचारियों जैसे पत्रकारों या अन्य कर्मचारियों को भी असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 05 मार्च, 2019 को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना का सूत्रपात किया है जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है । 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत नामित लाभार्थी अनुबंध - 'क' में दर्शाए गए हैं।

18-40 वर्ष के आयु समूह के लगभग 3.0 व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए दिनांक 12.09.2019 को व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभांरभ किया गया है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे व्यापारी जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम/पीएम-एसवाईएम के सदस्य और आयकरदाता नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। दोनों स्कीमों के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा अंशदान देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 3.50 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के देश-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से नामांकन किया जाता है। इसके अलावा, पात्र व्यक्ति अपना नामांकन स्वयं www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। मासिक अंशदान ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से निकाला जा रहा है। पत्रकारों और अन्यों सहित मीडिया हाउस के कर्मचारी, यदि वे पात्रता शर्तें पूरी करते हों, किसी एक पेंशन योजना अर्थात पीएम-एसवाईएम या एनपीएस व्यापारी में नामांकन करा सकते हैं।

* *****

असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना के संबंध में श्री ए. विजयकुमार, सांसद द्वारा दिनांक 11.12.2019 को पूछे जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2667 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत संघ राज्य-क्षेत्रवार/राज्य-वार नामांकन		
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम**	**दिनांक 15.11.2019 की स्थिति के अनुसार नामांकन की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	53396
2	अरुणाचल प्रदेश	1446
3	असम	12804
4	बिहार	164340
5	छत्तीसगढ़	113559
6	गोवा	370
7	गुजरात	360145
8	हरियाणा	615591
9	हिमाचल प्रदेश	33166
10	जम्मू और कश्मीर/लद्दाख	64484
11	झारखण्ड	125782
12	कर्नाटक	60581
13	केरल	9023
14	मध्य प्रदेश	113002
15	महाराष्ट्र	572074
16	मणिपुर	2904
17	मेघालय	1671
18	मिजोरम	548
19	नागालैण्ड	2337
20	ओडिशा	143825
21	पंजाब	30727
22	राजस्थान	93112
23	सिक्किम	97
24	तमिलनाडु	53370
25	तेलंगाना	25428
26	त्रिपुरा	15577
27	उत्तर प्रदेश	537095
28	उत्तराखण्ड	26091
29	पश्चिम बंगाल	57205
30	अंडमान और निकोबार	1351
31	चण्डीगढ़	1727
32	दादरा और नागर हवेली	675
33	दमन एवं दीव	420
34	लक्षद्वीप	21
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6927
36	पुडुचेरी	1116
	कुल	3301987

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2674

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019/20 अग्रहायण, 1941 (शक)

संगठित क्षेत्र में संविदागत कामगारों का प्रतिशत

2674. श्री तिरुची शिवा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में संविदागत आधार पर नियोजित कामगारों का वर्ष-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) संगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों की कुल संख्या कितनी है और वर्ष 2019 में इनमें से कितने संविदागत आधार पर रखे गए कामगार हैं; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संविदागत आधार पर नियोजित कामगारों का प्रतिशत क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत/लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों/ठेकेदारों के साथ तैनात ठेका कामगारों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे ठेका कामगारों की कुल संख्या
2015	839234
2016	964001
2017	1110603
2018	1178878
2019	1364377

संगठित क्षेत्र में ठेका आधार पर नियोजित कामगारों का प्रतिशत तथा संगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों की अनुमानित संख्या उपलब्ध नहीं है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में परिभाषितानुसार संगठित क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण/अनुमान नहीं है।

(ग): वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण के आधार पर लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के पास उपलब्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में ठेका कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों का विवरण अनुबंध में है।

* ****

<u>अनुबंध</u>

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में ठेका कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	नियमित कर्मचारी	ठेका कर्मचारी	नैमित्तिक/दिहाड़ी कर्मचारी	कुल
	(कर्मचारियों की संख्या लाख में)			
31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	13.51	3.09	0.31	16.91
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	12.91	2.75	0.21	15.87
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	12.34	2.68	0.19	15.21
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	11.31	3.39	0.54	15.24
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	10.88	3.38	0.40	14.66

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2713

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019/20 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा धोखाधड़ी का पता चलना

2713. श्री संजय राउत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को पूरे देश में फैले अपने ग्राहकों/खाता धारकों के खातों में कुछ धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारी निधि की रक्षा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कडप्पा (आंध्र प्रदेश), बोम्मासंद्रा (कर्नाटक), रांची, दिल्ली, वात्वा (गुजरात), फरीदाबाद, बांद्रा, सेलम, तिरूची स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछेक धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट की गई है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निधि की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) 25 लाख एवं इससे अधिक की रकम के धोखाधड़ी के मामलों को अनिवार्य रूप से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को संदर्भित किया जाता है। अन्य मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित है कि स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराएं।

(ii) धोखा जोखिम प्रबंध समितियां, सहवर्ती लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ को समीक्षा/लेखा परीक्षा करने तथा धोखाधड़ी के सभी मामलों को फ्लैग करने तथा प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए गठित किया गया है।

(iii) दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों को आधार आधारित सुविधा प्रदान की गई है और इलैक्ट्रोनिक भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।

*****